**भारत सरकार**

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1053**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

**असंगठित क्षेत्र में श्रमिक**

**1053. श्री विवेक गुप्ता**:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की क्षेत्र-वार और राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में इस संख्या में वृ‎द्धि हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सार्वभौमिक श्रमिक पहचान संख्या योजना के अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ सामाजिक सुरक्षा कवर के नए मॉडल की शुरुआत करने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अ‎‎धिनियम के तहत ईपीएफओ और कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत भविष्य नि‎धि की सुविधाएं देने का भी विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारू दत्तात्रेय)**

(क) से (ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन(एनएसएसओ) द्वारा 2011-12 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र में कुल नियोजन 47 करोड़ था। इसमें से लगभग 8 करोड़ संगठित क्षेत्र में था तथा शेष 39 करोड़ असंगठित क्षेत्र में था। क्षेत्रवार और राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग): सरकार ने असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए “असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008” का अधिनियमन किया है। यह अधिनियम असंगठित कामगारों के लिए निम्नलिखित से संबंधित मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमों की रचना का प्रावधान करता है: (i) जीवन एवं नि:शक्तता छत्र, (ii) स्वास्थ्य एवं प्रसूति हितलाभ, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण तथा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से यथा निर्धारित कोई अन्य लाभ।

हाल ही में, सरकार ने असंगठित कामगारों पर लक्षित अटल पेंशन योजना आरंभ की है।

(घ): जी हाँ, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ईपीएफओ के अंतर्गत भविष्य निधि की सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के विस्तृत संशोधन में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किया गया है।

“6कख. (1) धारा 6 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित के लाभों का प्रावधान करने के प्रयोजनार्थ असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा स्कीम नामक स्कीम बना सकती है –

क) भविष्य निधि;

ख) लाभार्थियों को देय अधिवर्षिता पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन या स्थायी पूर्ण अपंगता पेंशन, विधवा या विदुर पेंशन, संतान पेंशन या अनाथ पेंशन सहित पेंशन;

ग) निक्षेप सहबद्ध बीमा”

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उल्लेख करे कि अधिनियम के उपबंधों के शर्ताधीन, स्वैच्छिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम उक्त अधिसूचना में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सभी या किसी मामले का प्रावधान कर सकती है।”

सरकार ने 04.08.2010 को “अन्य लाभार्थी एवं उनके परिवारों के सदस्य चिकित्सा सुविधा स्कीम, 2010” नामक स्कीम अधिसूचित की है। यह स्कीम कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम से इतर किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत अन्य लाभार्थियों और उनके परिवारों के सदस्यों पर लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा उपचार और सेवा का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह क.रा.बी. निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार स्वयं का और अपने परिवार के सदस्य का पंजीकरण कराए। इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति निगम द्वारा अधिसूचित दरों पर प्रयोक्ता प्रभारों की अदायगी पर न्यून-उपयोगित क.रा.बी. अस्पतालों से चिकित्सा उपचार और सेवा प्राप्त करने का पात्र है।

\*\*\*\*\*